



इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 972 सन् 2026

मीना देवी

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आशीष कुमार, संतोष कुमार शुक्ला

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. इस न्यायालय ने 28.01.2026 को विद्वान स्थायी अधिवक्ता से निर्देश मांगे थे।
3. 03.02.2026 को जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर देहात के हस्ताक्षर से न्यायालय के समक्ष निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं।
4. श्री मनीष कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रतिवाद में एक बयान दिया है कि उन्हें निर्देश प्राप्त हो गए हैं और वह इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करता है, रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। पक्षों की सहमति से रिट याचिका पर नए चरण में ही निर्णय किया जा रहा है।
5. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 22.01.2005 को आंगनवाड़ी केंद्र, हरिहरपुर, विकास खंड राजापुर, जिला कानपुर देहात में मानदेय पर आंगनवाड़ी सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद, 29.04.2015 को बाल विकास अधिकारी, राजापुर, जिला कानपुर देहात, चौथे उत्तरदाता द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी, कानपुर देहात द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, रिट याचिकाकर्ता को आंगनवाड़ी सहायक की नियमित नियुक्ति तक मध्य

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आंगनवाड़ी केंद्र विकास नगर, सिकंदरा टाउन को चलाने का निर्देश दिया गया था। यद्यपि रिट याचिकाकर्ता विचाराधीन पद पर समायोजन होने की हकदार थी, लेकिन चूंकि उस संबंध में कोई भी कार्यवाई नहीं की गई थी, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट ए संख्या 19103 सन् 2025 को प्राथमिकता दी, जिसका निस्तारण 17.12.2025 को किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे 30.01.2026 तक रिट याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लें। तथापि, रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता ने 30.12.2025 को उत्तरदाताओं के समक्ष अपना पक्ष रखा था, लेकिन उस पर कोई आदेश पारित किए बिना ही, अब 05.01.2026 को प्रभारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, राजापुर, कानपुर देहात ने एक आदेश पारित किया है, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता को वापस हरिहरपुर भेजा जा रहा है।

6. उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए, वर्तमान रिट याचिका को प्राथमिकता दी गई है।

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित आदेश को इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि एक बार, रिट-ए संख्या 19103 सन् 2025 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के आधार पर, उत्तरदाताओं के लिए जरूरी था कि वे रिट याचिकाकर्ता के दावे को समायोजित करने के लिए विचार करें, ऐसे में कोई भी आदेश, चाहे वह पक्ष में हो या विपक्ष में, पारित किए बिना, रिट याचिकाकर्ता को दिनांक 05.01.2026 के आदेश के आधार पर हरिहरपुर स्थानांतरित और वापस नहीं भेजा जा सकता था। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दिनांक 21.03.2023 के शासनादेश के खंड 12 के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता अपने मूल स्थान या उस स्थान पर जहां उसके ससुराल वाले रह रहे हैं, वहां समायोजित और तैनात होने की हकदार है और इस संबंध में, वह पृष्ठ 24 पर भरोसा करना चाहती है ताकि यह तर्क दिया जा सके कि वहां का निवास प्रमाणपत्र मौजूद है, जो उसके निवास स्थान को विकास नगर के रूप में दर्शाता है।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने अपने मुवक्किल से प्राप्त निर्देशों के आधार पर दिनांक 03.02.2026 के निर्देशों के पृष्ठ 2 की ओर ध्यान आकर्षित किया है, उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता हरिहरपुर की निवासी प्रतीत होता है। उनके अनुसार, समायोजित करने पर विचार करने के लिए एक आदेश पारित किया जाना है।

9. मैंने प्रतिरोध में दी गई दलीलों को सुना है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. रिट याचिकाकर्ता ने इससे पहले रिट-ए संख्या 19103 सन् 2025 दाखिल करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें अपनी सेवा के समायोजन के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, तथापि उसके अभ्यावेदन दायर किए जाने के बाद से अब तक, समायोजन के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, यद्यपि, रिट याचिकाकर्ता को विकास नगर से हरिहरपुर वापस भेज दिया गया है।

तथापि रिट याचिकाकर्ता ने 21.03.2023 के शासनादेश के पैरा 12 पर अपना दावा प्रस्तुत किया है, *"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



जिसमें यह तथ्य दिखाया गया है कि रिट याचिकाकर्ता विकास नगर की निवासी है, लेकिन उक्त पहलू पर विचार नहीं किया गया है। स्थिति चाहे जो भी हो, इस मामले में निर्णय लेना और तदनुसार आदेश पारित करना उत्तरदाताओं का ही दायित्व है।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता को **20.02.2026** तक चौथे उत्तरदाता के समक्ष एक व्यापक अभ्यावेदन को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और जिस पर, प्राधिकारी रिट याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करेगा और उसके बाद एक महीने की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करेगा।

12. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

13. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर लिया जाता है और परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

फ़रवरी 5, 2026

राजेश

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"